

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-45/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

स्वास्थ्य विभागीय आदेश सं०-690(2) दिनांक-29.05.2024 के द्वारा डा० नेहा झा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय, मधुबनी को द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-10.02.2024 से 07.08.2024 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था। परन्तु डा० झा द्वारा दिनांक-02.07.2024 के पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण कर लिया गया है। अतः विभागीय आदेश सं०-690(2) दिनांक-29.05.2024 को उक्त परिप्रेक्ष्य में संशोधित करते हुए डा० झा को दिनांक-10.02.2024 से 01.07.2024 तक कुल-143 (एक सौ तैंतालीस) दिन ही मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक-विभागीय आदेश सं०-690(2)

दिनांक-29.05.2024

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-45/2024- 201/2 पटना, दिनांक 10/02/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, झंझारपुर, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/डा० नेहा झा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, कार्यालय मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव